



सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक 20.04.2024

- पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा पुलिस बल के साथ गैंगेस्टर एक्ट के तहत 04 अभियुक्तों/सगे भाइयों की मूल्य 53 लाख 01 हजार रुपये की अचल सम्पत्ति को कुर्क कर, की गयी जब्तीकरण की कार्यवाही।
- जनपद कानपुर देहात में आदतन अपराधियों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में की गयी प्रभावी कार्यवाही।
- अभियुक्तों द्वारा अवैध तरीके से किया गया था, मकानों का निर्माण।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी अकबरपुर मय पुलिस बल व नायब तहसीलदार मय राजस्व टीम द्वारा वाद संख्या 235/2024 सरकार बनाम अभियुक्तगण 1. सनी उर्फ फतेह मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अली 2. शादाब पुत्र मोहम्मद अली 3. रियाज अली पुत्र मोहम्मद अली 4. सैफ अली पुत्र मोहम्मद अली निवासी गण मोहल्ला चौपाल ग्राम बारा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत अचल सम्पत्ति की कुल धनराशि 53,01,000 रुपये को माननीय न्यायालय जिलाधिकारी जनपद कानपुर देहात द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2024 के क्रम में कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गैंगलीडर रियाज उपरोक्त –

- (1) मु0अ0सं0 391/2021 धारा 363/366 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- (2) मु0अ0सं0 669/18 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- (3) मु0अ0सं0 391/2021 धारा 363/366 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- (4) मु0अ0सं0 675/13 धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- (5) मु0अ0सं0 417/2023 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- (6) मु0अ0सं0 418/2023 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- (7) मु0अ0सं0 11/2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सादाब उपरोक्त –

- (1) मु0अ0सं0 417/2023 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- (2) मु0अ0सं0 11/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सनी उर्फ फतेह मोहम्मद उपरोक्त –

- (1) मु0अ0सं0 417/2023 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- (2) मु0अ0सं0 391/2021 धारा 363/366 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- (3) मु0अ0सं0 11/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सैफ अली उपरोक्त –

- (1) मु0अ0सं0 417/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- (2) मु0अ0सं0 418/2023 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
- (3) मु0अ0सं0 11/2024 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

गैंगेस्टर सनी उर्फ फतेह उपरोक्त आदि की जब्त की गयी अचल सम्पत्ति का विवरण-

1. अचल सम्पत्ति मूल्य 5,85,000 रुपये
2. अचल सम्पत्ति मूल्य 10,24,000 रुपये
3. अचल सम्पत्ति मूल्य 36,92,000 रुपये

जब्त/कुर्क की गयी कुल धनराशि- 53,01,000 रुपये

सम्पत्ति जब्त/कुर्क करने वाली टीम-

1. श्रीमती तनु उपाध्याय क्षेत्राधिकारी अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
2. श्री पवन सिंह तहसीलदार अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
3. श्री सतीश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
4. श्री महेन्द्र पटेल थानाध्यक्ष थाना रनियां जनपद कानपुर देहात।
5. उ0नि0 श्री भागमल चौकी प्रभारी बारा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
6. उ0नि0 श्री रामकिशन वर्मा चौकी प्रभारी जैनपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
7. अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण।

